

## बिक्री की सूचना (केवल ई—नीलामी के माध्यम से बिक्री)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आस्ति का कब्जा एवं बिक्री

देना बैंक द्वारा दिनांक 30.11.2018 को अखबार दा टाईम्स ऑफ इण्डिया अग्रेजी **एवं अमर उजाला हिन्दी** में निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय करने हेतु प्रकाशन कराया है जिसका पूर्ण विवरण एवं नियम व शर्तें निम्नलिखित है:-

देना बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने अपने सुरक्षित निम्नलिखित ऋणों में बकाया रकम व ब्याज व अन्य खर्च (बकाया रकम का विवरण नीचे दर्ज है) की वसूली हेतु वास्तविक कब्जे में ली गई निम्नलिखित सम्पत्ति को "जहाँ है जैसा है" "जो है जैसा है" के आधार पर सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विक्रय करने हेतु इलैक्टोनिक मोड. द्वारा वेबसाइट https://www.bankeauctions.com, मैं. सी–1 इण्डिया प्रा. लि., गल्फ पैट्रोकेम भवन, 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेस –2, गुडगॉव (हरियाणा) 122015 टेलीफोन नं. 0124–4302021/22/23/24 के माध्यम से दिनांक 14.11.2018 को सायं 4.00 बजे तक या से पूर्व प्रस्ताव आमंत्रित करता है। ऋणीगण, गारन्टर आदि का नाम व पता, बन्धक सम्पत्ति, बकाया रकम, का विवरण निम्नप्रकार है:—

कृम संख्या	शाखा का नाम	ऋण एवं गारन्टर / बन्धककर्ता का नाम	बकाया रकम डिमाण्ड नोटिस के अनुसार	बेची जाने वाली सम्पति का विवरण	रिजर्व प्राईस	Earnest Money Deposit (ईएमडी)	ऋण देने वाली शाखा का नाम एवं EMD जमा करने का विवरण
1	देना बैंक, बुढाना गेट, मेरठ	मैं. नेचर पब्लिकेशंस द्वारा प्रोप्राईटर श्री संतोष कुमार यादव पुत्र श्री गंगा प्रसाद यादव एवं श्रीमती रेनू यादव पत्नी श्री संतोष कुमार यादव।	रु. 22.06 लाख व बकाया ब्याज व अन्य खर्च	नगर पालिका मकान नं. 11015, खसरा नं. 73 का भाग, रकबई 91.97 वर्ग मीटर यानि 110 वर्ग गज वाके निकट चर्च, नगला बट्टू, यादगारपुर, परगना, तहसील एवं जिला मेरठ जिला मेरठ।	<b>ড. 21.15</b> লাভ্র	रु 2.12 लाख	देना बैंक, बुढाना गेट, मेरठ IFS Code – BKDN0720806 Account No. 080611999999
2	रुद्रपुर	मैं. श्री कृष्णा डेरी, ग्राम रहपुरा, पोस्ट लालपुर, तहसील किच्छा जिला उद्यमसिंह नगर द्वारा प्रोप्राईटर श्री राजकुमार पुत्र श्री मुंशीराम, ग्राम रामेश्वरपुर, तहसील किच्छा जिला उधमसिंह नगर।	रु. 29.75 लाख बकाया ब्याज व अन्य खर्च	भूमि मय निर्माण रकबई 0.202 हेक्टेयर यानि 2020 वर्ग मीटर खाता नं. 00105 खसरा नं. 502 वाके ग्राम रहपुरा, परगना रुद्रपुर, तहसील किच्छा जिला उधमसिंह नगर सम्पत्ति के मालिक श्री राजकुमार पुत्र श्री मुंशी राम है जिसकी सीमायें: पूर्व: नहर, पश्चिम: सम्पत्ति श्री बाबूराम उत्तर: सम्पत्ति श्री हजूर सिंह, दक्षिण: सम्पत्ति श्री नरेन्द्र कौर। वास्तविक कब्जा में है।		<b>হ. 1.46</b> লাভ্র	देना बैंक, रुद्रपुर IFS Code – BKDN 0721189 Account No.118911999999

इच्छुक बोलीकर्ता जिनके पास वैध डिजीटल प्रमाणपत्र (Class II) हों, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे स्वयं को पोर्टल में दर्ज करवाएं और लॉग इन आइडी और पास वर्ड प्राप्त करे। इच्छुक बोलीकर्ता पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये गये लॉग इन आइडी और पास वर्ड द्वारा उपर्युक्त वेबसाइट में जाकर ई.एम.डी. व केवाईसी अभिलेख जमा करें,, ईएमडी का भुगतान एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से निम्नलिखित खाते में करे जो सम्पत्ति के सामने वाले कॉलम मे दर्ज है।

ऑन लाईन आक्शन में केवल वे क्रेता ही भाग लेने के पात्र है, जिनके पास वैध यूजर्स आईडी / पासवर्ड हो और एन.ई.एफ.टी. / आर.टी.जी.एस / डी.डी. के द्वारा ई.एम.डी का भुगतान किया गया हो,, इच्छुक बोलीकर्ता जिन्हें लॉगइन आई डी और पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोड करने, बोली जमा करने आदि में कोई सहायता चाहिए वह मैं. सी—1 इण्डिया प्रा. लि., हेल्पलाइन नं. 09646796075 (तकनीकी विवरण के लिए श्री पंदीप सिंह) अन्य जानकारी के लिए ई—मेल आइडी: support@bankeauctions.com या कोई अन्य जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी मोबाई नं. 8433447037 से सम्पर्क कर सकते हैं। इच्छुक बोलीकर्ताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। इच्छुक बोलीकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण मौके पर दिनांक 12.12.2018 को समय सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक कर सकते हैं।

इच्छुक बोलीकर्ताओं जिन्होंने अपनी बिडस, जो आरक्षित मूल्य से कम न हो, ऑनलाइन विधि द्वारा ईएमडी दिनांक 14.12.2018 को सांय 4.00 बजे से पहले या तक जमा कर दी हो, वही बोलीकर्ता दिनांक 17.12.2018 को समय सुबह 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होने वाली ई—बोली में भाग लेने के पात्र होंगे।

बोलीकर्ता जिसकी बोली उच्चतम होगी (आरक्षित मूल्य से कम नहीं और बोली कर्ता जिन्होंने बोली में न्यूनतम 0.10 लाख का सुधार किया हो) ऑन लाइन आक्शन बंद होने पर इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा सफलतम बोलीकर्ता घोषित कर दिया जाएगा, जोकि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने पर ही मान्य होगा। विकय की पुष्टि होने पर, सफल क्रेता को विकय मूल्य का 25 प्रतिशत (जिसमें जमा की गई अग्रिम राशि, यदि कोई हो, भी शामिल है) तत्काल अर्थात उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस तक, जैसा भी मामला हो, विकय करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करेगा और विकय मूल्य का शेष 75 प्रतिशत 15 दिनों के भीतर जमा करेगा, जिसमें विफल होने पर बैंक क्रेता द्वारा पहले जमा की गई राशि को जब्त कर लेगा। भुगतान में चूक होने पर, सम्पत्ति को पुनः विकय किया जाएगा और चूककर्ता केता उस सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा जो भी हो, नहीं कर सकता है, सम्पत्ति पर कोई वैद्यानिक या अन्य देय राशि पेयबल हो या डयू हो क्रेता द्वारा वहन की जाएगी।

बिक्री से संबंधित नियम और शर्तों की पूछताछ यदि कोई हो प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। प्रस्ताव, जो बिक्री के नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करते उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। सफल क्रेता को पूर्ण बिक्री मूल्य के भुगतान और बिक्री संबंधी औपचारिकता पूरी करने के उपरांत सरफेसाई नियम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये प्रारुप में विकग्न पत्र जारी किया जाएगा। क्रेता स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभार आदि यदि कोई हों वहन करेगा। बैंक किसी या सभी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताऐ अस्वीकृत/रद्द करने के सभी अधिकार सुरक्षित रखता है।

\_\_\_\_\_

## SARFAESI ACT के अंतर्गत 15 दिन का वैद्यानिक बिक्री नोटिस

ऋणी / बंधककर्ता / गारन्ट को एतद्द्वारा उपरोक्त धनराशि नीलामी की दिनांक से पहले जमा करवाने का नोटिस दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर उक्त सम्पत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा और शेष राशि यदि कोई हो, ब्याज सिहत और अन्य कोई लागत हो को कानूनी प्रक्रिया द्वारा वसूल कर लिया जाएगा।

स्थान देहरादून , दिनांक 29.11.2018 प्राधिकृत अधिकारी, देना बैंक